मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई, 2010 (श्रावण 1, 1932)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य , उद्योग और रोजगार मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3)(ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2005-2006 वर्ष समाप्ति दिनांक 31 मार्च, 2006 के लिये पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, भिण्ड नगर पालिका द्वारा पेंशन की राशि हितग्राहियों के खाते में न डाले जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया की नीति न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य, प्रदेश के अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों को पात्रता परीक्षा पास होने के बाद भी संविदा शिक्षक के पद पर नियुक्ति न दिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री सुदर्शन गुप्ता, श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, धार जिले के पीथमपुर स्थित रामकी इन्वायर कम्पनी द्वारा कचरा जलाने से उत्पन्न स्थिति की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4 प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा, सभापति, प्राक्कलन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (त्रयोदश विधान सभा) प्रस्तुत करेंगी.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य, रतलाम जिले के -

(क) तहसील जावरा के वार्ड नम्बर 15 में हैण्डपंप खनन किये जाने,
(ख) तहसील जावरा के वार्ड नम्बर 15 में ध्यान मंदिर रोड पर हैण्डपंप खनन किये जाने,
(ग) तहसील जावरा के ग्राम-भुतेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(घ) तहसील जावरा के ग्राम गोन्दी धरमसिंह स्थित नई आबादी में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने, तथा
(ङ) तहसील जावरा के ग्राम-भुतेड़ा में पशु चिकित्सालय खोले जाने,

(2) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले के -

(क) जिले में डेम बनाकर सिंचाई हेतु नहरें निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम जावर, खेड़ीमित्रा, सुरगांव आदि ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़े जाने,
(ग) ग्राम-रोहणी, लोहारी सतवाड़ा आदि ग्रामों की शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(घ) जिले में ओवर ब्रिज व नवीन बस स्टैण्ड निर्माण किये जाने, तथा
(ङ) ग्राम-कोरगल, बमनगांव, अमलपुरा आदि ग्रामों की शासकीय हाई स्कूलों को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

-2-

(3) श्री संजय पाठक, सदस्य, कटनी जिले के -

(क) तहसील-विजयराघवगढ़ के वार्ड नम्बर 10 व 11 में सी.सी. रोड़ तथा नाली निर्माण किये जाने,

(ख) तहसील-विजयराघवगढ के ग्राम-उबरा में नलकूप खनन किये जाने,

(ग) ग्राम पंचायत-करौंदीखुर्द के दरवाजा मोहल्ले में नलकूप खनन किये जाने,

(घ) ग्राम पंचायत कुंदरेही के मुख्य मार्ग से हाट बाजार तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण किये जाने,

(ङ) तहसील विजयराघवगढ़ के ग्राम पढ़खुरी के वार्ड नं. 4 व 5 में सी.सी. रोड तथा नाली निर्माण किये जाने,

(च) ग्राम पंचायत-बिचपुरा के ददरा टोला में नवीन नलकूप खनन किये जाने,

(छ) ग्राम-पंचायत बिचपुरा के वार्ड नम्बर 7 व 8 में सी.सी. रोड तथा नाली निर्माण किये जाने,

(ज) ग्राम पंचायत कन्नौर के मुख्य मार्ग में सी.सी. रोड तथा नाली निर्माण किये जाने,

(झ) तहसील-विजयराघवगढ़ के ग्राम देवराकलां के वार्ड नम्बर 13 में सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण किये जाने, तथा

(ञ) ग्राम पंचायत-करौंदीखुर्द के दरवाजा मोहल्ले में सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

1 घन्टा 30 मि. (शेष 50 मि.)

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में विद्युत की कमी, अघोषित विद्युत कटौती एवं विद्युत दरों में वृद्धि के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

7. अशासकीय संकल्प

45 मि. (1) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री के.पी.सिंह "कक्काजू", अश्विन जोशी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा कराया जावे ".

45 मि. (2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि मध्यप्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को उनकी संख्या के अनुपात में भारत सरकार के मापदण्ड के अनुसार खाद्यान्न प्रदाय हेतु आवंटन दिया जाये ".

15 मि. (3) श्री बृजमोहन धूत, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि महाकाल नगरी उज्जैन से काशी विश्वनाथ जाने हेतु वाराणसी के लिये व्हाया भोपाल ट्रेन चलाई जावे ".

15 मि. (4) श्री आरिफ अकील, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भोपाल रेल्वे स्टेशन से गुजरने वाली विशेष कर दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद, लखनऊ और रायपुर की ओर जाने वाली समस्त रेल गाड़ियों में विधायकों को यात्रा करने के लिये वातानुकूलित एवं गैरवातानुकूलित बोगियों के कोच में 10-10 सीटों का कोटा आवंटित किया जाये ".

30 मि. (5) डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी -

"सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश की कृषि उपज मंडियों में लिये जा रहे मंडी टैक्स से बनाई गई किसान सड़क निधि के स्थान पर बिजली निधि बनाई जावे ".

भोपाल :
दिनांक : 22 जुलाई, 2010

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.